## राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम— 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।

## देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- अन्त्योदय अन्य योजना 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- पात्र गृहस्थी योजना 03 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 02 कि०ग्रा० चावल कुल 05 कि0ग्रा0 प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- उपरोक्त दोनो योजनाओं पर मेहूँ रु0-02 प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल रु0-03 कि0ग्रा0 की दर से देय।

## खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- कार्ड धारक विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800–1800–150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।







## खाद्य तथा रसद विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

जनपद : लखानक

राशन कार्ड क्रमांक :215740649186

: LUCKNOW (M CORP.)

मखिया का नाम : कलावती पिता / पति का नाम ःदेशराज सिंह श्रेणी/जाति : पिछडे वर्ग

: 283, SAIDAPUR, DOUDPUR, GOSAIGANJ निवास का पता

Lucknow(M Corp)- 226501

आधार /इनरोलमेंट न० : XXXX XXXX

गैस ग्राहक कनेक्शन सं०: गैस एजेंसी का नाम :

उचित दर दुकान : Ram Pratap यूनिटों का विवरण : 6 (six)

दिनांक: 21-05-2024

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -२० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड

IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP.

	वार की सदस्यों की सृ		0 1
क्रम सं.	नाम	पिता/पित का नाम (हिंदी में)	मुखिया से सम्बन्ध
1	कलावती	शिवराज	स्वयं
2	देशराज सिंह	स्व॰ रामचन्द्र	सौहर / पति
3	काजल	देशराज सिंह	वेटी
4	सौम्या उर्फ कोमल	देशराज सिंह	वेटी
5	महेन्द्र प्रताप सिंह	देशराज सिंह	वेटा
6	देवराज प्रताप सिंह	देशराज सिंह	वेटा